राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	24/2019 शाकिर / आशाकिशन हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/12/20	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र पुर्नरावलोकन हेतु प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दौराने बहस अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 10 उपलब्ध नक्शे पर अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा सहमती जाहिर करते हुये निवेदन किया कि उक्त नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये गये रस्ते के सन्दर्भ में दोनो पक्ष अब सहमत है एवं उक्त रस्ते में अपीलार्थी के भाईबंध एवं अपीलार्थीगण की आराजीयात है एवं उक्त रास्ते को कायम किये जाने का सम्बंधित किसी प्रकार को कोई आपत्ति नही है एवं न रहेगी। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19/06/2019 एवं इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 18/11/2019 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकार समायोजित कर संशोधित प्रार्थना पत्र लेते हुये उक्त नक्शे अनुसार रास्ता कायम किये जाने हेतु पुन: निर्णय वास्ते प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है। चूँकि उभयपक्षों ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की पृष्ठ संख्या 10 पर उपलब्ध नक्शे में लाला स्याही से दर्शाये गये रास्ते को कायम किये जाने एवं पूर्व निर्णययो को निरस्त किये जाने में सहमति जाहिर की है। अत: प्रकरण का गुणावगुण पर कोई परीक्षण किये बगैर मात्र उभयपक्षों की सहमती के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19/06/2019 एवं इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18/11/2019 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है की वे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 10 पर उपलब्ध नक्शे में लाल रंग से दर्शाये गये रास्ते से सम्बंधित पक्षकारो को समयोजित कर उनकी सुनवाई कर पुन: निर्णय पारित करे। इस हेतु प्रार्थी/रिस्पो. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे। तदनुसार प्रकरण निस्तारित किया जाता है। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18/01/2021 को उपस्थित हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24/2019	

प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर सलग्न मूल अपील पत्रावली रहे।

आदेश आज दिनांक 28/12/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर